भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3946
जिसका उत्तर गुरुवार, 06 अप्रैल, 2023 को दिया जाना है

लोक अदालत योजना का कार्यान्वयन

3946 डा. फौजिया खान :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायालयों पर बोझ कम करने के लिए लोक अदालत की अवधारणा को लागू किया गया है ;

(ख) वर्ष 2019 से देश में लोक अदालतों में भाग लेने वाले लोगों की राज्य-वार संख्या कितनी है और कितने मामलों का निपटारा किया गया है ;

(ग) यह ध्यान में रखते हुए कि लोक अदालत केवल विशेष दिनों पर आयोजित की जाती है, क्या सरकार यह सोचती है कि यदि इस प्रयोजनार्थ जिला और तालुका स्तरों पर नियमित रूप से और जल्दी-जल्दी लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी तो इस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया जाएगा ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रस्तावित कार्रवाई क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ख) : अदालतों पर बोझ कम करने के लिए लोक अदालतें वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र के प्रभावी तरीकों में से एक हैं। लोक अदालतों में भाग लेने वाले लोगों की संख्या का विवरण केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। तथापि, 2019 से आयोजित लोक अदालतों की संख्या और राज्य लोक अदालतों, राष्ट्रीय लोक अदालतों और स्थायी लोक अदालतों (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं) द्वारा निपटाए गए मामलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण क्रमशः **उपाबंध-क, उपाबंध-ख** और **उपाबंध-ग** में दिया गया है।

(ग) से (घ) : नालसा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन के लिए कैलेंडर जारी करता है। 2023 के दौरान, राष्ट्रीय लोक अदालतें 11 फरवरी, 13 मई, 9 सितंबर और 9 दिसंबर को आयोजित की जानी हैं। राज्य लोक अदालतों का आयोजन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थानीय परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार किया जाता है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम,

2009 के माध्यम से अधिक लोक अदालतें आयोजित करने के लिए दिशा-निर्देश/निर्देश जारी किए गए हैं जिससे लंबित मामलों को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त, कोविड के मद्देनजर, ई-लोक अदालत की परिकल्पना की गई, जिसने लोक अदालतों में भाग लेने में असमर्थ लोगों के लिए न्याय तक पहुंच में काफी सुधार किया। पहली ई-लोक अदालत 27.06.2020 को आयोजित की गई थी और तब से 28 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्र में ई-लोक अदालतें आयोजित की जा चुकी हैं; जिसमें 344.99 लाख मामले लिए गए और 61.09 लाख मामलों का निस्तारण किया गया।

****

उपाबंध-क

लोक अदालत योजना का कार्यान्वयन- डॉ. फौजिया खान, संसद द्वारा उठाए गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3946 जिसका उत्तर 06.04.2023 को दिया जाना है,के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 (जनवरी, 2023 तक) के दौरान गठित राज्य लोक अदालतों और पीठों में निपटाए गए मामलों की जानकारी को दर्शाने वाला विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23 (जनवरी, 23 तक)	
		गठित न्यायपीठों की संख्या	निपटाए गए मामले (वाद-पूर्व और लंबित दोनों मामले)	गठित न्यायपीठों की संख्या	निपटाए गए मामले (वाद-पूर्व और लंबित दोनों मामले))	गठित न्यायपीठों की संख्या	निपटाए गए मामले (वाद-पूर्व और लंबित दोनों मामले)	गठित न्यायपीठों की संख्या	निपटाए गए मामले (वाद-पूर्व और लंबित दोनों मामले)
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	2	290	1	90	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	8493	11400	3585	30461	4874	12123	4766	6317
3	अरुणाचल प्रदेश	47	118	6	25	24	91	1	4
4	असम	419	33084	6	1	136	13672	0	0
5	बिहार	931	1256	28	97	1	6	9	574
6	चंडीगढ़	12	28	26	1	69	37	29	536
7	छत्तीसगढ	610	1662	491	3475	187	228	124	139
8	दादर और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
10	दिल्ली	52	16340	300	195359	250	147103	14	6629
11	गोवा	5	81	8	777	30	3209	42	1299
12	गुजरात	4542	20611	2851	21880	5157	15546	3767	19526
13	हरियाणा	66040	124952	33774	52789	54762	115797	43113	229828
14	हिमाचल प्रदेश	1865	68651	90	3205	260	22031	134	3953
15	जम्मू - कश्मीर	145	16774	125	9469	24	3271	224	76459
16	झारखंड	743	14341	607	79649	1310	22954	1235	8533
17	कर्नाटक	3890	45165	1912	121884	412	2524	229	2632
18	केरल	1972	21408	721	4837	302	19226	478	22291
19	लक्षद्वीप	2	0	0	0	0	0	3	3
20	मध्य प्रदेश	1166	10675	1714	14903	808	4110	1014	4079
21	महाराष्ट्र	592	7932	22	605	6	28	10	183

22	मणिपुर	0	0	1	21	0	0	4	43
23	मेघालय	0	0	0	0	23	89	0	0
24	मिजोरम	112	552	27	147	17	204	37	1114
25	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ओडिशा	101	45210	239	4628	12	326	5	453
27	पुदुचेरी	49	699	24	392	42	262	39	561
28	पंजाब	803	4242	0	0	339	1108	6	15
29	राजस्थान	3689	6522	607	34514	786	845	1004	1495
30	सिक्किम	120	560	110	158	110	636	124	689
31	तमिलनाडु	2181	16621	767	13117	759	13066	903	9837
32	तेलंगाना	1862	12352	1501	24327	2827	7363	2184	10558
33	त्रिपुरा	35	7353	12	6938	93	11624	19	2492
34	उत्तर प्रदेश	197	3916	200	100305	57	31414	21	121047
35	उत्तराखंड	72	27258	121	6166	25	8605	106	23324
36	पश्चिमी बंगाल	1307	25698	575	13853	774	74999	442	10098
37	लद्दाख	0	0	0	0	4	32	4	240
	कुल योग	**102056**	**545751**	**50451**	**744073**	**74480**	**532529**	**60090**	**564951**

उपाबंध-ख

लोक अदालत योजना का कार्यान्वयन- डॉ. फौजिया खान, संसद द्वारा उठाए गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3946 जिसका उत्तर 06.04.2023 को दिया जाना है,के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

वर्ष 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों की जानकारी को दर्शाने वाला विवरण।						
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023 (मार्च तक)**
		निपटाए गए मामले	**निपटाए गए मामले**	**निपटाए गए मामले**	**निपटाए गए मामले**	**निपटाए गए मामले**
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0	248	3997	3310	266
2	आंध्र प्रदेश	97415	37896	122839	647956	275954
3	अरुणाचल प्रदेश	588	104	1054	1071	170
4	असम	21596	12188	39642	113989	37525
5	बिहार	164984	66451	151620	305483	91713
6	चंडीगढ़	11188	2569	16833	15569	8467
7	छत्तीसगढ	57648	24464	134548	1125318	311607
8	दादर और नागर हवेली	2021	1768	172	1323	186
9	दमण और दीव	249	31	113	215	10326
10	दिल्ली	71377	83006	154992	535025	152400
11	गोवा	1565	351	1680	3934	734
12	गुजरात	193150	41584	748722	1185571	385951
13	हरियाणा	103298	30298	123413	673487	187095
14	हिमाचल प्रदेश	25432	5971	35556	111150	38274
15	जम्मू - कश्मीर	32177	13258	166544	390496	82517
16	झारखंड	49228	53152	232473	1121405	461289
17	कर्नाटक	281849	334681	1277856	3444607	6413608
18	केरल	128729	15010	68681	136101	14433
19	लक्षद्वीप	4	8	7	129	23
20	मध्य प्रदेश	234433	108365	347333	419776	125902
21	महाराष्ट्र	428376	215837	2440375	4754239	1312588

22	मणिपुर	1994	204	794	1343	338
23	मेघालय	695	303	852	956	102
24	मिजोरम	495	218	790	4432	340
25	नागालैंड	973	251	941	888	168
26	ओडिशा	43197	18329	35557	337065	165754
27	पुदुचेरी	4194	1738	5084	6405	1613
28	पंजाब	89016	32528	138175	392256	134743
29	राजस्थान	219098	103060	286834	4572315	3047589
30	सिक्किम	165	30	110	232	23
31	तमिलनाडु	340594	88819	191604	447536	102267
32	तेलंगाना	110838	47560	349902	1611677	332656
33	त्रिपुरा	3354	382	1070	4814	887
34	उत्तर प्रदेश	26058	8088	20882	67438	20613
35	उत्तराखंड	2484405	1171022	5551793	18698973	6709744
36	पश्चिमी बंगाल	62890	28596	133736	788082	233970
37	लद्दाख	0	0	1463	1444	296
	कुल योग	**5293273**	**2548368**	**12788037**	**41926010**	**20662131**

उपाबंध-ग

लोक अदालत योजना का कार्यान्वयन- डॉ. फौजिया खान, संसद द्वारा उठाए गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3946 जिसका उत्तर 06.04.2023 को दिया जाना है,के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 (जनवरी, 2023 तक) के दौरान स्थायी लोक अदालतों (पीयूएस) की बैठकों की संख्या और इन बैठकों में निपटाए गए मामलों की जानकारी वाला विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23 (जनवरी, 23 तक)	
		वर्ष के दौरान बैठक	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के दौरान बैठक	वर्ष के दौरान बैठक	वर्ष के दौरान बैठक	वर्ष के दौरान बैठक	वर्ष के दौरान बैठक	वर्ष के दौरान बैठक
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	1384	1608	431	1283	927	1406	876	513
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
4	असम	263	38	99	12	141	56	179	42
5	बिहार	1754	688	977	203	482	221	313	157
6	चंडीगढ़	246	582	246	108	240	687	201	7466
7	छत्तीसगढ	918	96	346	32	1045	1199	1018	1300
8	दादर और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
10	दिल्ली	516	19439	532	14765	791	17395	643	13820
11	गोवा	21	57	24	30	2	0	0	0
12	गुजरात	9	120	1	105	9	2238	1	8
13	हरियाणा	3578	45839	3413	9654	3547	30960	2809	47970
14	हिमाचल प्रदेश	38	112	6	10	9	11	0	0
15	जम्मू - कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0
16	झारखंड	2738	10517	3554	1943	5144	32514	5188	18935
17	कर्नाटक	1578	6399	1069	3869	1292	5371	810	3491
18	केरल	276	442	336	248	212	1104	196	2220
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	368	510	455	270	886	574	972	506
21	महाराष्ट्र	797	3304	541	249	918	765	850	1067

22	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
23	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0
24	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
25	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ओडिशा	935	1870	583	1350	742	1561	557	1121
27	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0
28	पंजाब	4504	8391	2868	3987	4538	9967	4153	11146
29	राजस्थान	4545	5254	1123	806	2960	3228	3679	4364
30	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	245	47	236	80	671	272	908	452
32	तेलंगाना	181	3546	66	549	108	6674	96	6032
33	त्रिपुरा	147	208	1	0	44	81	62	143
34	उत्तर प्रदेश	4274	1230	2714	383	3961	1087	3196	846
35	उत्तराखंड	461	379	156	522	484	765	490	447
36	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0
37	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	**29776**	**110676**	**19777**	**40458**	**29153**	**118136**	**27197**	**122046**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3949
जिसका उत्तर गुरुवार, 06 अप्रैल, 2023 को दिया जाना है

उच्च न्यायालय की खंडपीठें

3949 श्री संदोष कुमार पी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) वर्ष 2016 से उच्च न्यायालयों की कितनी खंडपीठों की स्थापना की गई है ;

(ख) क्या सरकार की राज्यों में उच्च न्यायालयों की नई खंडपीठें स्थापित करने की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन-किन राज्यों का चयन किया गया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : वर्ष 2016 से, कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक सर्किट पीठ जलपाईगुडी में स्थापित की गई थी जो तारीख 07.02.2019 से प्रभावी है ।

उच्च न्यायालय की खंड पीठें, जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और रिट याचिका (सी) सं. 2000 की 79 में शीर्ष न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार तथा राज्य सरकार जिसे आवश्यक व्यय और अवसंरचनात्मक संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करानी है, और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति जिनके द्वारा उच्च न्यायालय के दिन प्रतिदिन के प्रशासन की देखरेख किया जाना अपेक्षित है, पूर्ण प्रस्ताव पर सम्यक् विचार के पश्चात्, स्थापित की जाती है । प्रस्ताव पूर्ण किए जाने के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल की सहमति भी होनी चाहिए ।

वर्तमान में, किसी उच्च न्यायालय की खंड पीठ (खंड पीठों) को स्थापित करने के लिए सरकार के पास कोई पूर्ण प्रस्ताव लंबित नहीं है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3950
जिसका उत्तर गुरुवार, 06 अप्रैल, 2023 को दिया जाना है

न्यायालयों की अवसंरचना

3950 श्री मस्थान राव बीडा :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या देश के न्यायालयों में पर्याप्त स्थान एवं आधुनिक सुविधाओं वाले न्यायालय कक्ष, महिलाओं के लिए अलग शौचालय, चिकित्सा-सहायता केन्द्र, जल शोधक यंत्र और पुस्तकालय जैसी मूलभूत सुविधाओं संबंधी अवसंरचना की कमी है, जिसके कारण उनके लिए प्रभावी कार्य निष्पादन करना कठिन हो जाता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने प्रतिशत निचली अदालतों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय नहीं है ;

(ग) सरकार द्वारा कार्य सुगमता को सुनिश्चित करने के लिए न्यायालयों की अवसंरचना में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा राज्यों को प्रदान की गई या प्रदान की जाने वाली निधि का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का होता है । तथापि, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के संसाधनों की अभिवृद्धि करने के लिए संघ सरकार, केन्द्र और राज्यों के मध्य विहित निधि साझा पेटर्न में उन्हे वित्तीय सहायता प्रदान करके न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीयकृत प्रयोजित स्कीम का वर्ष 1993-94 से कार्यान्वयन कर रही है। इस स्कीम में जिला और अधीनस्थ न्यायापालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और वास सुविधाओं का संनिर्माण समाविष्ट है । वर्ष 2021 से, इस स्कीम में न्यायालय हालों और आवासीय ईकाइयों के संनिर्माण के अतिरिक्त, अधिवक्ता हालों, शौचालय परिसरों और डिजिटल कम्प्यूटर कक्षों का संनिर्माण भी समाविष्ट किया गया है। महिलाओं के लिए अलग शौचालय, चिकित्सा सहायता केंद्र, जल शोधक और पुस्तकालय आदि की राज्य-वार उपलब्धता के आंकड़े केंद्रीय रूप से संकलित नहीं किए जाते हैं। तथापि, 2021 में इस विभाग के साथ साझा किए गए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, 74% न्यायालय परिसरों में अलग महिला शौचालय हैं, 5% न्यायालय परिसर बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित हैं, 54% न्यायालय परिसरों में प्यूरिफायर के साथ पीने के पानी की सुविधा हैं और 51% न्यायालय परिसरों में पुस्तकालय हैं।

(ग) और (घ) : सरकार, अधीनस्थ न्यायालयों को उपयुक्त भौतिक आधारभूत संरचना प्रदान करने की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, जब योजना को 2021-22 से 2025-26 तक बढ़ाया गया था, तो उक्त अवधि के लिए स्कीम के अधीन अधिवक्ताओं और

मुव्वकिलों की सुविधा के लिए 3 नए घटकों अर्थात अधिवक्ता हॉल (1450), शौचालय परिसर (1450) और डिजिटल कंप्यूटर रूम (3800) सहित न्यायालय हॉल (3800) और आवासीय इकाइयों (4000) के निर्माण के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस), परियोजनाओं के संनिर्माण के लिए कुछ मानदंडों और विशिष्टताओं का उपबंध करती है, तथापि, राज्यों को स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन मानदंडों और विशिष्टताओं को बदलने के लिए लचीलापन प्रदान किया गया है। 1655 आवासीय इकाइयां हैं और 2806 न्यायालय हॉल निर्माणाधीन हैं।

न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अधीन, निधियों का केंद्रीय हिस्सा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को विहित अनुपात में जारी किया जाता है, जो 8 एनईआर राज्यों और 2 हिमालयी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के लिए 60:40 (केंद्र: राज्य) है। (उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश) जहां अनुपात 90:10 है और संघ राज्यक्षेत्रों के मामले में, कोई राज्य हिस्सा शामिल नहीं है। 1993-94 में इस स्कीम के प्रारंभ के पश्चात् इसके अधीन, आज तक, 9866.59 करोड़ रुपये केंद्रीय अंश जारी किया जा चुका हैं, जिनमें से 2014-15 से अब तक 2022-23 के दौरान 857.20 करोड़ रू सहित 6422.28 करोड़ रुपये (65.09%) जारी किए जा चुके हैं। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायालय हॉलों और आवासीय इकाइयों की उपलब्धता का राज्य-वार विवरण **उपाबंध** पर संलग्न है।

****

उपाबंध

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं0 3950, जिसका उत्तर 06.04.2023 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण 31.03.2023 को न्यायालय हॉलों और आवासीय इकाईयों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य और संघ राज्यक्षेत्र	कुल न्यायालय हॉल	कुल आवासीय इकाईयां
1	अंदमान और निकोबार द्वीप	17	10
2	आंध्र प्रदेश	647	574
3	अरुणाचल प्रदेश	29	29
4	असम	424	371
5	बिहार	1505	1197
6	चंडीगढ़	31	30
7	छत्तीसगढ़	475	460
8	दादरा और नागर हवेली	3	3
9	दीव और दमण	5	5
10	दिल्ली	694	348
11	गोवा	53	26
12	गुजरात	1524	1341
13	हरियाणा	561	518
14	हिमाचल प्रदेश	170	153
15	जम्मू - कश्मीर	199	122
16	झारखंड	658	609
17	कर्नाटक	1185	1142
18	केरल	564	538
19	लद्दाख	9	6
20	लक्षद्वीप	3	3

21	मध्य प्रदेश	1544	1692
22	महाराष्ट्र	2350	2055
23	मणिपुर	43	16
24	मेघालय	53	26
25	मिजोरम	47	37
26	नागालैंड	30	39
27	ओड़िशा	814	707
28	पुडुचेरी	36	29
29	पंजाब	589	625
30	राजस्थान	1338	1137
31	सिक्किम	20	15
32	तमिलनाडु	1215	1343
33	तेलंगाना	533	475
34	त्रिपुरा	82	91
35	उत्तर प्रदेश	2758	2349
36	उत्तराखंड़	253	210
37	पश्चिमी बंगाल	836	421
कुल		**21297**	**18752**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3951
जिसका उत्तर गुरुवार, 06 अप्रैल, 2023 को दिया जाना है

भूतपूर्व न्यायधीशों पर भारत विरोधी गिरोह में शामिल होने के आरोप

3951 श्री जावेद अली खान :
श्री राम नाथ ठाकुर :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री के अनुसार उच्चतम न्यायालय के कुछ पूर्व न्यायाधीश भारत-विरोधी गिरोह का हिस्सा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी सूचना का स्त्रोत क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर इस संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश और गृह मंत्रालय को सूचित किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तरसंबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : जी नहीं । तथापि, समय समय पर न्याय विभाग में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के सेवारत न्यायाधीशों के साथ-साथ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं । न्याय विभाग केवल उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के सेवारत न्यायाधीशों की नियुक्ति और सेवा शर्तों से संबंधित है । उच्चतर न्यायपालिका में जवाबदेही "आंतरिक तंत्र क्रियाविधि" के माध्यम से बनाए रखी जाती है । भारत के उच्चतम न्यायालय में 7 मई, 1997 को अपनी पूर्ण न्यायालय बैठक में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने दो संकल्प अंगीकृत किए अर्थात् (i) "न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन", जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा पालन और अनुसरण किए जाने वाले कतिपय न्यायिक मानदंडों और सिद्धांतों को अधिकथित करता है । (ii) उन न्यायाधीशों के विरुद्ध समुचित उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए "आंतरिक तंत्र प्रक्रिया" जो न्यायिक जीवन के सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मूल्यों का अनुसरण नहीं करते हैं, जिसके अंतर्गत वे मूल्य भी हैं जो न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन में सम्मिलित हैं ।

उच्चतर न्यायपालिका के लिए स्थापित "आंतरिक तंत्र क्रियाविधि" के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के आचरण के विरुद्ध शिकायतों को प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं । इसी प्रकार उच्च न्यायालयों के मुख्य

न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के विरुद्ध शिकायतों को प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं । न्याय विभाग द्वारा प्राप्त शिकायतें/अभिवेदन समुचित कार्रवाई के लिए, यथास्थिति, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को अग्रेषित किए जाते हैं । उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से संबंधित शिकायतें विभाग द्वारा निपटारा नहीं की जाती हैं ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3953
जिसका उत्तर गुरुवार, 06 अप्रैल, 2023 को दिया जाना है

न्यायालयों में शिशु देखभाल गृह

3953 श्री एस. निरंजन रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार न्यायिक अवसंरचना निर्मित करने वाली केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत के लिए शिशु देखभाल गृह सुविधा के निर्माण को एक अनिवार्य आवश्यकता बनाने की मंशा रखती है ;

(ख) देश में शिशु देखभाल गृह सुविधायुक्त उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों की संख्या राज्य-वार कितनी है ;

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है और इसमें से कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(घ) आज की तारीख तक इन शिशु देखभाल गृहों में कितने बच्चों का पंजीकरण किया गया है और इनको भरे जाने की दर कितनी है, राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : मुख्यत: न्यायपालिका की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी है । यद्पि, राज्य सरकारो/संघ राज्यक्षेत्रों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए संघ सरकार ने 1993-94 से न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) का कार्यान्वयन किया है । इस स्कीम में, जब यह 2021-22 से 2025-26 तक बढाई गई थी, अधिवक्ताओं और कक्षीकार की सुविधाओं के लिए न्यायालय हालों और आवासीय इकाईओं के अलावा 3 नए संघठकों अर्थात्, अधिवक्ता हालों, प्रसाधन परिसरों और डिजिटल कम्प्यूटर कक्षों को सम्मिलित किया गया हैं । यद्पि, राज्यों को स्थानीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार मानदंडों और विनिर्देशों को परिवर्तन करने के लिए स्कीम के अधीन पर्याप्त लचीलापन प्रदान किया गया है ।

शिशुशाला के संबंध में जानकारी सरकार द्वारा केन्द्रीय रुप से नहीं रखी जाती है । यद्यपि, भारत के उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने 2021 में इस विभाग के साथ साझा की गई न्यायिक अवसंरचना

और न्यायालय सुविधाओं की प्रास्थिति पर एक डाटा एकत्रित किया जिसके अनुसार 10 प्रतिशत न्यायालय परिसर बालक देखरेख कक्षों/सुविधाओं से सुसज्जित हैं ।

(ख) से (घ) : उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता ।

******

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3956
जिसका उत्तर गुरुवार, 06 अप्रैल, 2023 को दिया जाना है

आंध्र प्रदेश ई-न्यायालय

3956 श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) आंध प्रदेश राज्य में कार्य कर रहे ई-न्यायालयों का जिला-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) आंध्र प्रदेश में ई-न्यायालय किस संचालन प्रणाली (ऑपरेशनल मोड) में कार्य कर रहे हैं **;**

(ग) क्या सरकार ने ई-न्यायालयों के संचालन के संबंध में कोई आकलन/ सर्वेक्षण कराया था और राज्य के लोगों की ई-न्यायालयों के प्रति धारणा/स्वीकृति कैसी है **;** और

(प) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : आंध्र प्रदेश राज्य में ई-न्यायालय परियोजना के अधीन कुल 598 न्यायालय पूरी तरह से प्रचालित हैं जो वकीलों, वादकारियों आदि को ई-न्यायालय संबंधी सभी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। न्यायालयों की जिला-वार सूची **उपाबंध** पर संलग्न है।

(ग) और (घ) : ई-समिति, भारत के उच्चतम न्यायालय के समन्वय से ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना चरण-II को न्याय विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) ने ई-न्यायालय चरण II का मूल्यांकन किया और लोगों की धारणा के बारे में प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

- सीपीसी और एनआईसी के अधिकारियों ने महसूस किया कि ई-न्यायालय परियोजना से न्यायालयों में दायर मामलों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है और ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से सूचना तक आसान पहुंच में मदद मिली है।
- एसजेए और डीएलएसए के कर्मचारियों ने ई-न्यायालय परियोजना के अधीन प्रदान की जाने वाली विभिन्न आईसीटी सुविधाओं की पहुंच और गुणवत्ता के साथ उच्च स्तर की संतुष्टि का संकेत दिया
- जिन वेंडरों से बात की गई उनके अनुसार, डीओजे द्वारा खरीद प्रक्रिया सुनियोजित है और सभी भुगतान समय पर प्राप्त होते हैं
- न्यायाधीश न्यायालय के समय प्रबंधन में सुधार और सूचना की पारदर्शिता से संतुष्ट हैं जो कि ई-न्यायालय परियोजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप हुआ है

- 90-100% नमूना न्यायालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर का उपबंध है और मामला सूचना प्रणाली (सीआईएस) स्थापित है।
- न्यायाधीशों और न्यायालय के अधिकारियों के उच्च अनुपात ने सीआईएस, एनजेडीजी और हार्डवेयर के उपयोग में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। लगभग सभी उत्तरदाताओं का मत था कि प्रशिक्षण बहुत उपयोगी थे।
- मामला सूचना प्रणाली (सीआईएस), जस्ट आईएस मोबाइल ऐप और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) वेबसाइट जैसी सेवाओं का बहुत बार उपयोग किया जाता है और एक आसान उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस है।
- अधिकांश न्यायाधीशों और न्यायालय के अधिकारियों का मानना है कि ई-न्यायालय परियोजना ने मामलों की लंबितता को कम कर दिया है क्योंकि मामलों के कानूनों तक आसान पहुंच के परिणामस्वरूप बेहतर शोध हुआ है।
- 5 वर्षों से अधिक के मामलों की लंबितता ने पिछले कुछ वर्षों में धीमी लेकिन स्थिर गिरावट प्रदर्शित की है।
- 2017 के बाद से, जिला न्यायालय की निकासी दर में भी तेज वृद्धि देखी गई है।

****

उपाबंध-1

आंध्र प्रदेश ई- न्यायालय के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3956 जिसका उत्तर 06/04/2023 को दिया जाना है के लिए के में निर्दिष्ट विवरण। आंध्र प्रदेश में ई-न्यायालय परियोजना के अधीन संचालित जिले-वार न्यायालय निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	जिला	ई-न्यायालय परियोजना के अधीन परिचालित न्यायालयों की संख्या
1	अनंतपुरमु	36
2	चित्तूर	56
3	पूर्वी गोदावरी	60
4	गुंटूर	60
5	कडपा	37
6	कृष्णा	74
7	कुरनूल	40
8	एसपीएसआर नेल्लोर	38
9	प्रकाशम	35
10	श्रीकाकुलम	29
11	विशाखापत्तनम	65
12	विजयनगरम	23
13	पश्चिमी गोदावरी	45
	कुल	598

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3957
जिसका उत्तर गुरुवार, 06 अप्रैल, 2023 को दिया जाना है

न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्तियां

3957 डा. अमी याज्ञिक :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार उच्चतम न्यायालय के 100 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में से 70 न्यायाधीश कहीं न कहीं नियोजित हुए हैं, यदि हां, तो सरकार किस तरह से यह आश्वासन देगी कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होगी ;

(ख) क्या यह सच है कि न्यायाधिकरण सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के लिए शरणस्थली बनते जा रहे हैं, यदि हां, तो क्या सरकार का स्वयं वादी होने के साथ-साथ नियुक्ति प्राधिकारी होने कारण यह निर्णयों के परिणाम को प्रभावित करेगा ; और

(ग) ऐसे न्यायाधीशों का ब्यौरा क्या है जिनको सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्तियां मिली हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार की सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्तियों को जारी रखने की मंशा है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : न्याय विभाग, उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय के केवल पदासीन न्यायाधीशों की नियुक्ति और सेवा शर्तों से संबद्ध है । उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीशों की विभिन्न संवैधानिक पद, आयोगों, न्यायाधिकरणों आदि में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा, अपने-अपने नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सुसंगत नियमानुसार की जाती है । अत: केन्द्रीयकृत रुप से सूचना अनुरक्षित नहीं की जाती है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3959
जिसका उत्तर गुरुवार, 06 मार्च, 2023 को दिया जाना है

अधीनस्थ न्यायालयों में डिजिटलीकरण

3959 श्री राजीव शुक्ला :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**
(क) क्या सरकार ने देश भर के अधीनस्थ न्यायालयों में डिजिटलीकरण की गति धीमी होने पर ध्यान दिया है ;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का तेज गति से डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है ; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्याय विभाग के निकट समन्वयन में ई-न्यायालय परियोजना की संपूर्ण योजना, नीति और कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है | भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा न्यायालय के अभिलेखों और न्यायपालिका के विरासत डाटा की स्कैनिंग, भंडारण, पुन:प्राप्ति, डिजिटाइजेशन के लिए डिजिटल परिरक्षण मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने हेतु एक उप समिति गठित की गई थी । एसओपी भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा 21 अक्तूबर, 2022 को पूर्ण निकाय की बैठक में अनुमोदित की गई थी । एसओपी में दिए गए ब्यौरों के अनुसार, उच्च न्यायालय के अभिलेखों के डिजिटाइजेशन से संबंधित डाटा का परिमाण **उपाबंध-1** पर संलग्न किया गया है ।

परियोजना का चरण-II पूरा होने को है और ई-न्यायालयों के चरण-III के लिए डीपीआर को अंतिम रूप दे दिया गया है और भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा 21 अक्तूबर, 2022 को अनुमोदित कर दिया गया है, जिसमें विरासत डाटा सहित संपूर्ण न्यायालय के अभिलेख के डिजिटाइजेशन का उपबंध है । ई-न्यायालय चरण-III के डीपीआर पर विचार करने के लिए व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक तारीख 23.02.23 को आयोजित की गई थी तथा ईएफसी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है और अन्य अपेक्षित अनुमोदन उन्नत प्रक्रम पर हैं ।

****

उपाबंध-1

अधीनस्थ न्यायालयों में डिजिटाइजेशन संबंधी राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3959 जिसका उत्तर तारीख 06.04.2023 को दिया जाना है के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण । न्यायालय के डिजिटाइजेशन की प्रगति निम्नानुसार हैः

उच्च न्यायालय वार वर्तमान डिजिटाइजेशन की प्रास्थिति		
	उच्च न्यायालय स्थान	डिजिटाइज्ड़ पृष्ठों की कुल संख्या
1	गुवाहाटी उच्च न्यायालय ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	0
2	कलकत्ता उच्च न्यायालय पश्चिमी बंगाल	1,22,00,000
3	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	19,68, 00,000
4	दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली	17,90,00,000
5	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	उपलब्ध नहीं है
6	गुवाहाटी उच्च न्यायालय, असम	2,92,17,338
7	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	75,34,000
8	गुवाहाटी उच्च न्यायालय कोहिमा खंडपीठ	2,80,000
9	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय	उपलब्ध नहीं है
10	गुजरात उच्च न्यायालय	उपलब्ध नहीं है
11	मध्य प्रदेश, उच्च न्यायालय जबलपुर	15,40,00,000
12	मेघालय उच्च न्यायालय शिलांग	0
13	गुवाहाटी उच्च न्यायालय, आइजोल न्यायपीठ, मिजोरम	29,867
14	उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक, ओडिशा	1,22,00,000
15	सिक्किम उच्च न्यायालय, गंगटोक	6,83,861
16	मद्रास उच्च न्यायालय, चेन्नई	50,98,000
17	तेलंगाना, उच्च न्यायालय हैदराबाद	4,01,50,753
18	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल	1,32,00,000
19	जम्मू - कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय	उपलब्ध नहीं है
20	बंबई उच्च न्यायालय	0
21	दमण दीव उच्च न्यायालय	0
22	झारखंड, उच्च न्यायालय रांची	5,50,00,000
23	कर्नाटक उच्च न्यायालय	1,13,22,389
24	मणिपुर उच्च न्यायालय	16,40,855
25	राजस्थान उच्च न्यायालय	1,61,00,000
		73,44,57,063

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3960
जिसका उत्तर गुरुवार, 06 अप्रैल, 2023 को दिया जाना है

गरीबों के लिए न्याय मित्र योजना

3960. श्री नीरज डांगी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) देश में गरीब वर्ग के नागरिकों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई न्याय मित्र योजना के माध्यम से की गई सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) देश में, विशेषकर राजस्थान राज्य की जिला न्यायालयों में नियुक्त किए गए न्याय मित्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान न्याय मित्र योजना में शामिल किए गए नए जिलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिनमें अब तक कोई न्याय मित्र नहीं है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : अप्रैल, 2017 में, न्याय मित्र कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जिसका लक्ष्य न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करना था । इसका उद्देश्य 10 से 15 वर्ष पुराने मामलों के निपटान को सुकर बनाना है, जिसमें उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित सिविल मामले, जैसे वैवाहिक, दुर्घटना दावा मामले और दांडिक मामले भी सम्मिलित हैं । न्याय मित्र कार्यक्रम के प्रारंभ के बाद से असम, बिहार, महाराष्ट्र, ओड़िशा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों के विभिन्न जिला न्यायालयों में कुल 39 न्यायमित्र स्थित थे । न्याय मित्र उपरोक्त राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों में कार्यरत नहीं है । वर्ष 2021-2022 और वर्ष 2022-2023 के लिए 11 न्याय मित्र, देश के 11 जिला न्यायालयों में कार्यरत थे । कार्यरत न्याय मित्र के जिला-वार ब्यौरे **उपाबंध 'क'** पर हैं । राजस्थान राज्य में, वर्ष 2017-18 के दौरान, जालोर, अलवर, श्री गंगानगर और भीलवाड़ा जिला न्यायालयों में चार (4) न्याय मित्र नियुक्त किए गए थे । इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 के दौरान भीलवाड़ा, अलवर और श्री गंगानगर जिला न्यायालयों में तीन (3) न्याय मित्र नियुक्त किए गए थे । वर्ष 2019-20 में, दो (2) न्याय मित्र जोधपुर मेट्रो एवं जयपुर मेट्रो जिला न्यायालय में कार्यरत थे और वर्ष 2021-2022 में, अप्रैल 2022 से, कोटा एवं जयपुर मेट्रो-1 जिला न्यायालय, प्रत्येक में एक-एक, दो (2) न्याय मित्रों को नियुक्त किया गया था ।

******

उपाबंध 'क'

गरीबों के लिए न्याय मित्र योजना के संबंध में, श्री नीरज डांगी, संसद् सदस्य, द्वारा उठाया गया लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 3960, जिसका उत्तर 06-04-2023 को दिया जाना है, के भाग (ख)-भाग (ग) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण :

राज्य-वार विवरण, जिसमें (2017-2022) से नियुक्त न्याय मित्रों की संख्या अंतर्विष्ट है

क्रम सं0	राज्य	वर्ष- 2017-20218		वर्ष 2018-2019		वर्ष 2019-2020		वर्ष 2020-2021	वर्ष 2021-2023		कुल
		जिला	न्याय मित्रों की सं0	जिला	न्याय मित्रों की सं0	जिला	न्याय मित्रों की सं0		जिला	न्याय मित्रों की सं0	
1	**असम**		-		-		-		कछार	1	**2**
									कामरूप मेट्रो	1	
2	**बिहार**	पटना	1		-		-			-	**1**
3	**महाराष्ट्र**		-		-	औरंगाबाद	1		नागपुर	1	**4**
						मुंबई सिविल न्यायालय	1				
						नागपुर	1				
4	**ओडिशा**		-		-	पुरी	1		कटक	1	**4**
						गंजाम	1		खुर्दा	1	
5	**राजस्थान**	**जालौर**	**1**	**भीलवाड़ा**	**1**	**जोधपुर मेट्रो**	**1**		**कोटा**	**1**	**11**
		अलवर	**1**	**अलवर**	**1**						
		गंगानगर	**1**	**गंगानगर**	**1**	**जयपुर मेट्रो**	**1**		**जयपुर मेट्रो**	**1**	
		भीलवाड़ा	1								
6	**त्रिपुरा**	पश्चिमी त्रिपुरा	1		-		-	**शून्य***		-	**1**
7	**उत्तर प्रदेश**	गाज़ियाबाद	1		-	इलाहाबाद	1		आगरा	1	**8**
		मेरठ	1								
		वाराणसी	1						इलाहाबाद	1	
		गोरखपुर	1								
		कुशीनगर	1								
8	**पश्चिमी बंगाल**	हावड़ा	1	उत्तरी परगना	1	बर्दवान	1		कलकत्ता	1	**8**
		24 उत्तरी परगना	1								
		बीरभूम	1						दक्षिणी 24 परगना	1	
		कूचबिहार	1								
	योग		**15**	**योग**	**4**	**योग**	**9**		**योग**	**11**	**39**

* वर्ष 2020-2021 के दौरान कोविड महामारी के कारण न्यायालयों के बंद होने और सामाजिक दूरी संबंधी प्रोटोकॉल के कारण किसी भी न्याय मित्र को नियुक्त नहीं किया जा सका ।

****